कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रांक 3554 /1411 दिनांक, मेरठ 03 फरवरी **2016।**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः— जनपद बागपत लो0नि0वि द्वारा मेरठ मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भः— 1—प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत का पत्रांक 1972/14—1 दिनांक 02.02.2016
2—आपका पत्रांक 1567/बागपत/14525/यू0पी0—128/2015 दिनांक 27.01.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सन्दर्भित पत्र से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत द्वारा निम्न निस्तारण किया है—

बिन्दु सं0—1 — प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में हस्ताक्षर पुनः करा दिये गये है एवं सील लगा दी गई है।

बिन्दु सं0—2 — प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 31 पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगा दिया गया था, जो निकाल दिया गया है। सेतु से मेरठ की ओर अर्थात सेतु के बाई ओर 0.877145 है0 एवं बागपत की ओर अर्थात सेतु के दाई ओर 0.337845 है0 भूमि की आवश्यकता है, जिसकी गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 28 पर दी गई है। तदानुसार पृष्ठ संख्या संशोधित कर दिये गये है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने हेतु उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें। प्रस्ताव तीन प्रतियों में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

भवदीय
3/2

(एस0के0 अवस्थी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

पत्रॉक 3554 / **दिनॉकित।**

1—प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2—प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत को सूचनार्थ प्रेषित।

3/2

(एस0के0 अवस्थी)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी मेरठ क्षेत्र, मेरठ।

Received
3/11/16

E/Land transfer

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।

पत्रांक– 1972 /14–1, दिनाँक, मेरठ, 02 फरवरी, 2016.

सेवा में,

वन सरंक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी मेरठ वृत्त,
मेरठ।

विषयः– **बागपत में लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दांयी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उसपर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः– 1–अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1567/बागपत/14525/यूपी–128/2015 दिनांक 27.1.2016.
2–अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागपत का पत्रांक 168/10सी दिनांक 1.2.2016.

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 उ0प्र0 लखनऊ का उपरोक्त संदर्भित पत्र **(छायाप्रति संलग्न)** से बागपत में लो0नि0वि0 द्वारा मेरठ–बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु निर्माण के प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर पुनः आख्या चाही गयी है। पत्र में लगाई गई आपत्तियों का निम्नमानुसार बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है:–

1– प्रस्ताव की तीनों प्रतियों में हस्ताक्षर पुनः करा दिये गये हैं एवं सील लगा दी गई है।

2– प्रस्ताव में पृष्ठ संख्या 31 में पूर्व में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगा दिया गया था, जो निकाल दिया गया है। सेतु से मेरठ की ओर अर्थात सेतु के बाईं ओर 0.877145 है0 एवं बागपत की ओर अर्थात सेतु के दांई ओर 0.337845 है0 भूमि की आवश्यकता है, जिसकी गणना प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 28 पर दी गई है। तदानुसार पृष्ठ संख्या संशोधित कर दिये गये हैं।

अतः आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव तीन प्रतियों में पुनः इस अनुरोध के साथ भेजा जा रहा है कि प्रस्ताव को उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

D.M.
ओ. ना. से.
3/2/16

प्रभागीय वनाधिकारी
बागपत वन प्रभाग,
बागपत।

AB New